



## प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 14.04.2026

➤ थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म की घटना कारित वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण एवं महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 01.04.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 16 वर्ष के दिनांक 30.03.2026 को खेतों में बकरियां चराने जाने व वापस नहीं आने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0 086/2026 धारा 137(2) बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए, पीड़िता की बरामदगी कर, पीड़िता के धारा 180/183 बीएनएसएस के अन्तर्गत बयान माननीय न्यायालय के समक्ष अंकित कराते हुए, बयान अवलोकन व अन्य साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्त बबलू राजा पुत्र जयराम, उम्र 19 वर्ष निवासी लालानगर पैलावर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 14.04.2026 को हवासपुर चौराहा थानाक्षेत्र मंगलपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

### गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. बबलू राजा पुत्र जयराम, उम्र 19 वर्ष, निवासी लालानगर पैलावर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात ।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 84/26 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात ।

### गिरफ्तार करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

2. उ0नि0 श्री संजय दत्त वर्मा, चौकी प्रभारी संदलपुर थाना मंगलपुर,

3. हे0का0 293 बृजराज